सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —04 / 2018 अपील आर्म्स (RCMS/2018/00107)
पंजीयन दिनांक —04.07.2018
निर्णय दिनांक —18.12.2018

1. श्री फिरोज मोहम्मद पिता बशीरूद्दीन सिलावट, निवासी रजा कॉलोनी, राजसमन्द तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द।

—अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—
1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा — राजकीय अधिवक्ता

अपील अन्तर्गत धारा—18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द आदेश दिनांक 21.05.2018

निर्णय

दिनांक 18.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा—18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द आदेश दिनांक 21.05.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री फिरोज मोहम्मद द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष शस्त्र लाईसेंस न. 03 / 2016 में दर्ज .32 बोर पीस्टल नम्बर 970486 मेड ईन जर्मनी के अतिरिक्त दुसरा शस्त्र .22 बोर राईफल की स्वीकृति चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.21 / 11(8)श.ला. / न्याय / 2013 / 4233 दिनांक 21.05.2018 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा द्वितीय शस्त्र एन.पी. .22 बोर राईफल अतिरिक्त शस्त्र के रूप में क्रय किये जाने की अनुमति दिया जाना उचित नहीं बताने और प्रार्थी के पास एन.आर.ए.आई. की सदस्यता नहीं होकर स्पोट्स कोटें के अन्दर एसपाईरिंग शुटर एवं रिनोनड शुटर केटेगरी की अर्हता प्राप्त नहीं होने से प्रार्थी द्वारा टारगेट प्रेक्टिस के

लिये .22 बोर राईफल अतिरिक्त शस्त्र के रूप में क्रय करने हेतु दिनांक 05.02.2018 को प्रस्तुत आवेदन/प्रार्थना खारिज किया।

उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की पत्रावली मंगवाई गयी। प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सुचित किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट की ओर से अपील पर बिन्दु–वार टिप्पणी प्राप्त।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में बताया कि प्रार्थी श्री फिरोज मोहम्मद द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष शस्त्र लाईसेंस न. 03/2016 में दर्ज .32 बोर पीस्टल नम्बर 970486 मेड ईन जर्मनी के अतिरिक्त दुसरा शस्त्र .22 बोर राईफल की स्वीकृति चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से कराई गयी। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द ने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा के साथ लाईसेंस देने की सिफारिश की परन्तु जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा सिफारिश नहीं की गई। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत डीलर ने सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट द्वारा दुसरा शस्त्र एन.पी. 22 बोर राईफल टारगेट प्रेक्टिस करने हेतु क्रय करना बताया है। आवेदक द्वारा एन.आर.ए.आई. के मेम्बरशिप हेतु स्पीड पोस्ट किया जिसकी रसीद व बिल भी पेश किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा द्वितीय शस्त्र एन.पी. 22 बोर राईफल अतिरिक्त शस्त्र के रूप में क्रय किये जाने की अनुमति दिया जाना उचित नहीं बताते तथा अपीलान्ट के पास एन.आर.ए.आई. की सदस्यता नहीं होकर स्पोर्टस कोटे के तहत एसपारिंग शुटर एवं रीनान्ड शुटर केटेगरी की अर्हता प्राप्त नहीं होने से जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त किया जो विधि विरूद्ध होकर काबिल निरस्त के है। अपीलान्ट के खिलाफ कोई केस पेंडिग नहीं है। अपीलान्ट नियमानुसार लाईसेंस प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलान्ट को एन.आर.ए. आई. की सदस्यता प्राप्त हो गयी है तथा वह 4–4 लाईसेंस प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का आदेश दिनांक 21.05.2018 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट को .22 बोर राईफल क्रय करने हेतु स्वीकार करने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अपील पर प्राप्त बिन्दुवार टिप्पणी का ओर ध्यान आकृष्ट कर निवेदन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदनों, आर्म्स एक्ट 1959 एवं आर्म्स रूल्स् 2016 व भारत सरकार–गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 1988(ई) दिनांक 04.08.2014 का अध्ययन करने उपरान्त

अपीलान्ट द्वारा टारगेट प्रेक्टिस के लिए .22 बोर राईफल क्रय की अनुमति बाबत प्रार्थना खारिज किया जो पूर्णतया विधि सम्मत है, जिससे अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द एवं जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से जांच रिपोर्ट मांगी गई। उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करा अनुशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित की। जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी के पास एन.आर.ए.आई. की सदस्यता नहीं होकर स्पोट्स कोटें के अन्दर एसपाईरिंग शुटर एवं रिनोनड शुटर केटेगरी की अर्हता प्राप्त नहीं होने से अनुशंषा प्रदान नहीं की। दौराने अपीलीय कार्यवाही विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा नेशनल राईफल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा प्रार्थी के सदस्य होने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 12.06.2018 प्रस्तुत किया है। उक्त सदस्यता के न होने के कारण जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा द्वितीय शस्त्र स्वीकृति प्रदान करने में अनुशंषा प्रदान नहीं की गई। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा अनुशंषा पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में नये सिरे से पुनः जांच कर अथवा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का आदेश दिनांक 21.05.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर पुनः विचार कर, विभिन्न रिपोर्ट, गृह विभाग के निर्देशों का अवलोकन कर, इनकी पात्रता अनुसार स्वीकृत कर नियमानुसार अनुज्ञा पत्र/स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर